संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म.प्र.

क्रमांक/अ.प्र./2016/2212, भोपाल, दिनांक24/12/2016

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
मध्यप्रदेश।

विषयः–जिले के जिला चिकित्सालयों एवं अन्य चिकित्सा संस्थाओं में उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधा, साफ–सफाई व अन्य व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के संबंध में।

––00––

जिला अस्पतालों की स्थिति में सुधार करने तथा उनमें गुणवत्तापूर्ण निदान व उपचार उपलब्ध कराने के लिये आपको निर्देश समय–समय पर जारी किये गये हैं।

आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में हितग्राहियों हेतु गुणात्मक सेवाये उपलब्ध कराई जायें। चिकित्सालयों में उच्च स्तर की साफ–सफाई स्वच्छ जल की व्यवस्था, चिकित्सालयो की सामान्य व्यवस्था उपलब्ध कराई जाये इसके लिये यह आवश्यक है कि आप इसकी अपने स्तर से सतत् मॉनीटरिंग करें एवं चिकित्सालय के हर विभाग व इकाई के प्रभारियों के साथ जिम्मेदारियां निर्धारित करते हुये यह सुनिश्चित करें कि चिकित्सालय में उपलब्ध कराई जा रही सेवायें निर्धारित मापदंड एवं प्रोटोकॉल का पालन करते हुये उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी विभागों एवं इकाईयों के प्रभारियों को लिखित में उनके विभाग/इकाई में उपलब्ध कराई जा रहीं चिकित्सा सेवाओं, जांचों, उपचार, साफ–सफाई, सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिये जिम्मेदारी दें।

अपनी स्थापना के चिकित्सालयों का नियमित रूप से भ्रमण/निरीक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित हो कि विभिन्न विभागों/इकाईयों में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। चिकित्सालयों में औषधियों, वायटल श्रेणी के उपकरणों, उपकरणों से जांच/उपचार के लिये आवश्यक कंज्यूमेबल्स किट्स आदि उपलब्ध रहें। चिकित्सालय के चिकित्सक, नर्सें, पेरामेडिकल एवं अन्य स्टाफ समय पर उपस्थित हो तथा उनका व्यवहार मरीजों एवं उनके परिजनों के साथ सौम्य हो। चिकित्सालयों के उपकरण हमेशा चालू हालत में रहें। चिकित्सालयों में बॉयो–मेडिकल वेस्ट का नियमानुसार निष्पादन किया जाये तथा चिकित्सालय में बिजली, पानी की व्यवस्था 24 घंटे उपलब्ध रहे।

यह सुनिश्चित करें कि चिकित्सालय की साफ–सफाई व सुरक्षा उच्च स्तर की हो ताकि चिकित्सालय में जानवर, चूहे, झिंगुर आदि न रहें। चिकित्सालय के भवन में यदि कोई रख–रखाव संबंधी कार्य कराया जाना है तो आपके यंत्री से जिले के लोक निर्माण विभाग/स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अभियंता से समन्वय कर करवायें। इस संबंध में बिंदुवार विस्तृत निर्देश संलग्न हैं। निर्देशों का सख्तीपूर्वक पालन किया जाये तथा की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन संचालक (अ.प्र) को सात दिवस में प्रस्तुत करें।

संलग्न :उपरोक्तानुसार।

(डॉ.के.के.ठस्सू)
संचालक
(स्वास्थ्य सेवायें)
भोपाल,मध्यप्रदेश

क्रमांक / अ.प्र / 2016 / **भोपाल, दिनांक ..../ 16**

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2) आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र, भोपाल।
3) मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम, बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय मंजिल, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल।
4) समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।

संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल,मध्यप्रदेश

जिला अस्पतालों का सुधार

प्रदेश के चिकित्सालयों को अधिक सुदृढ़ और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करें–

1.हितग्राहियों हेतु गुणात्मक सुविधायें–

- चिकित्सालय में हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाये।
- चिकित्सक व अन्य स्टाफ समय पर उपस्थित हों।
- चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के द्वारा रोगियों के साथ सहानुभुति एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाये।
- परिचारकों तथा परिजनों के विश्राम एवं भोजन हेतु पेन्ट्री की व्यवस्था की जाये।
- परिचारकों तथा परिजनों के बैठने के लिये कुर्सियों /बेन्चों की व्यवस्था की जाये।
- अस्पतालों में आने वाले रोगियों की कठिनाईयों के चिन्हांकन हेतु रोगियों से फीडबेक लिया जाये तथा सभी वार्डों में एक शिकायत पंजी रखी जाये।

2.साफ–सफाई एवं सुरक्षा की व्यवस्था–

- चिकित्सालय परिसर, चिकित्सालय, चिकित्सालय के शौचालयों की नियमित उच्च स्तर की निर्धारित निर्देश एवं मापदंडों के अनुसार साफ–सफाई।
- शौचालयों एवं वार्डों में आउटसोर्स ऐजेन्सी द्वारा आवश्यकतानुसार निर्धारित मापदंड की सफाई सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करना।
- परिसर में प्लांटेशन व बगीचा विकसित किया जाये।
- 24 X 7 सुरक्षा हेतु निर्धारित निर्देश एवं मापदंडों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना।

3.औषधियों की उपलब्धता–

- निःशुल्क दवा वितरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क औषधियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- गरीबी रेखा से नीचे के सभी भर्ती मरीजों को निःशुल्क जांच व उपचार की सुविधा सुनिश्चित की जाये।
- निर्धारित संख्या में औषधियों एवं अन्य सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

4..अधोसंरचना में व्यापक सुधार –

- चिकित्सालय को अंदर व बाहर समुचित पुताई।
- रोगियों की सुविधा के लिये भवन के भीतर व बाहर समुचित साईनेज की व्यवस्था।
- सुरक्षा की दृष्टि से भवनों की फेंसिग व्यवस्था। यदि किसी चिकित्सा संस्था में समुचित फेंसिंग व्यवस्था नहीं है तो जिले के यंत्री व मुख्य अभियंता से समन्वय कर व्यवस्था हेतु कार्यवाही।

- चिकित्सालय भवन, फर्श, किचन, पैथोलॉजी, ब्लॅड बैंक, स्टोर व ऑफिस में दरारो, बिलों आदि को सिमेन्ट कॉक्रिट से भरने की कार्यवाही ताकि चिकित्सालय में चूहों, झिंगुरों व अन्य कीड़े–जंतु न हों।
- चिकित्सालय में यदि चूहों, झिंगुरों व अन्य कीड़े–जंतु हैं तो उनसे बचाव हेतु जनसहयोग व रोगी कल्याण समिति के माध्यम से योजना बना कर कार्यवाही।

5.स्वच्छ जल की व्यवस्था–

- स्वच्छ जल की 24X7 व्यवस्था की जाये।
- भंडारित जल का समय–समय पर क्लोरिनेशन किया जाये।
- संचालनालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं निर्धारित मापदंडों के अनुसार चिकित्सालय परिसर में समुचित संख्या में वाटर कूलर/फिल्टर की व्यवस्था।
- पानी के बचाव के लिये रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाये।
- पानी के समुचित निस्तार की व्यवस्था।

6.उपकरण व उनका रख–रखाव –

- इस हेतु एक नोडल अधिकारी चिन्हित किया जाये।
- संवेदनशील एवं अधिक उपयोग में आने वाले उपकरणों के क्रियाशीलता की सतत् मानीटरिंग।
- उपकरण चालू हालत में रखे जायें तथा अक्रियाशील होने की स्थिति में उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र दुरूस्त कराने की कार्यवाही।
- विभाग द्वारा शीघ्र ऐजेन्सी का निर्धारण कर उपकरणों के रख–रखाव हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- चिकित्सालय के वायटल, ऐशेन्सियल ,डिजायरेबल श्रेणी के उपकरणों के निर्देशों के अनुसार वास्तव में आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता की जानकारी उपार्जन शाखा व अ.प्र.शाखा को उपलब्ध कराना।

7.कंज्यूमेबल्स की उपलब्धता–

- विभिन्न विभागों एवं इकाईयों के (यथा आई.सी.यू., डायलिसिस इकाई, पेथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि) उपकरणों में काम आने वाले कंज्यूमेबल्स व किट्स नियमित रूप से उपलब्ध कराये जाये।
- यह सुनिश्चित करें कि पर्याप्त मात्रा में कंज्यूमेबल्स व किट्स आदि उपलब्ध हैं। स्टॉक 3 माह से कम होने की स्थिति में तत्काल नियमानुसार उपार्जन की कार्यवाही।

8.चिकित्सालयों की सामान्य व्यवस्था–

- मरीजों के लिये स्ट्रेचर ,व्हील चेयर, गद्दे, तकिये, कंबल, बेड साईड स्क्रीन, बेडपैन ,यूरीन पॉट आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।
- चिकित्सक समय पर व सुबह शाम ओ.पी.डी में बैठें व वार्ड में राउंड लें।
- अस्पताल में सुरक्षा की व्यवस्था की जाये।
- मरीजों एवं उनके परिजन एवं स्टाफ के लिये पंखे कूलर आदि की व्यवस्था की जाये।
- रोगियों की केश शीट नियमानुसार एवं निर्देशों के अनुसार सही ढंग से सुवाच्य अक्षरों में भरी जाये।

- ड्यूटी पर पदस्थ चिकित्सकों एवं पेरामेडिकल स्टाफ के ड्यूटी रोस्टर का उचित स्थान पर प्रदर्शन।
- दीवारों पर आई.ई.सी का डिस्प्ले किया जाये।
- दरवाजो ,खिड़कियों पर पेंट किया जाये तथा खिड़कियों पर मच्छर की जाली की व्यवस्था।

9.बायोमेडिकल वेस्ट की व्यवस्था–

- बायोमेडिकल वेस्ट का नियमानुसार निष्पादन किया जाना अनिवार्य है।
- सभी वार्डों में इस हेतु कलर्ड डस्टबीन उपलब्ध हों और स्टाफ द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट का सही ढंग से इनका उपयोग किया जाये।
- चिकित्सालय के स्टाफ को बायोमेडिकल वेस्ट निष्पादन का प्रशिक्षण।
- यह सुनिश्चित किया जाना कि निर्धारित ऐजेन्सी द्वारा निर्धारित अवधि में वेस्ट उठाया जा रहा है।
- निर्देशानुसार इस हेतु एक लॉग बुक संधारित की जाना जिसमें ऐजेन्सी द्वारा वेस्ट को उठाते समय समुचित ऐन्ट्री की जाये, जिसमें चिकित्सालय के नोडल कर्मचारी एवं अधिकारी तथा ऐजेन्सी के कर्मचारी के हस्ताक्षर लिये जायें।

10.स्टोर की व्यवस्था–

- चिकित्सालय के स्टोर को व्यवस्थित रखा जाये।
- औषधियों को फर्स्ट कम, फर्स्ट आउट के सिद्धांत का पालन करते हुये इश्यु किया जाये।
- रेक्स पर औषधि का नाम व कालातीत होने की तिथि अंकित की जाये।
- स्टोर का प्रत्येक तिमाही में एक टीम के द्वारा भोतिक सत्यापन किया जाये।
- शॉर्ट एक्सपायरी रजिस्टर संधारित किया जाये। जिन दवाईयों की एक्सपायरी छः माह से कम है उन्हें पहले उपयोग में लाया जाये। यदि उस चिकित्सालय में इनका उपयोग संभव नहीं है तो जिले की अन्य संस्थाओं में भेज कर उनका समय पर सदुपयोग किया जाये।
- स्टोर में कोई उपकरण पेटी पैक तो नहीं है यह सुनिश्चित कर लिया जाये। यदि ऐसे कोई उपकरण चिकित्सालय स्टोर में पाये जाते हैं तो तत्काल उनका संबंधित विभाग/ इकाई में उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

11.बिजली की व्यवस्था–

- चिकित्सालय में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- अस्पताल में प्रदाय किये गये जेनरेटर चालू हालत में हों।
- अस्पताल में विधुत फिटिंग व वायरिंग सही हालत में हों।